भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3212

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालकों से अवैध वसूली

3212. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर, विशेषकर 'मैकेनिकल पास' अथवा अन्य अनधिकृत शुल्कों के नाम पर वाणिज्यिक वाहनों से अवैध रूप से धन वसूले जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे खंडों को चिह्नित किया है जहां इस प्रकार की अवैध वसूली तथा परिवहनकर्ताओं के उत्पीड़न की घटनाएं बार-बार सूचित की जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनधिकृत वसूली को रोकने तथा वाणिज्यिक वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई, रियायतग्राहियों तथा प्रवर्तन एजेंसियों को कोई दिशा-निर्देश अथवा निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) ऐसी अवैध प्रथाओं को समाप्त करने तथा परिवहनकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क केवल राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 और संबंधित रियायत करारों के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर वाणिज्यिक वाहनों को "मैकेनिकल पास" नामक कोई भी पास जारी नहीं किया जाता है।

(ख) अवैध वसूली के लिए ऐसी कोई राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग को चिन्हित नहीं किया गया है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण में पारदर्शिता और परिचालन की समग्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी किए हैं। इस संबंध में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोलिंग संचालन में परिचालन की पारदर्शिता के लिए दिनांक 25.01.2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया है, जो यह सुनिश्चित

करने के लिए औचक निरीक्षण और नियमित निगरानी का प्रावधान करता है कि सभी नकद और फास्टैग लेनदेन केवल टोल प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित किए जाएं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिचालन समग्रता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सड़क प्रयोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए, सरकार ने फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली लागू किया है। वर्तमान में, लगभग 98% से अधिक प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) कार्यक्रम के तहत फास्टैग के माध्यम से होता है। सभी फास्टैग लेनदेन एक सुरक्षित परितंत्र में संसाधित किए जाते हैं जिसमें टोल प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर, शुल्क प्लाजा पर अधिग्रहणकर्ता बैंक, केंद्रीय समाशोधन केंद्र (सीसीएच) के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और फास्टैग जारीकर्ता बैंक शामिल हैं। लेन-देन में एक पारदर्शी प्रक्रिया शामिल है जिसमें काटे गए प्रयोक्ता शुल्क (टोल) के बारे में राजमार्ग प्रयोक्ताओं को सूचित किया जाता है और एक केंद्रीय संग्रह में दर्ज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर अधिग्रहणकर्ता बैंक, एनपीसीआई और जारीकर्ता बैंक, इन तीनों हितधारकों की भागीदारी के बिना कोई फास्टैग लेनदेन नहीं हो सकता है।

शुल्क प्लाजा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2026 से सभी एनएच शुल्क प्लाजा पर नकद संग्रहण बंद कर दिया है। तदनुसार, प्रयोक्ता शुल्क केवल फास्टैग/यूपीआई के माध्यम से एकत्रित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, टोल संचालन को बढ़ाने और वाहनों के निर्बाध आवागमन को सक्षम करने के लिए, सरकार ने आवंटित परियोजनाओं के परिणामों और प्रभावशीलता के आधार पर, 4-लेन और उससे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण की चरणबद्ध शुरुआत को अपनाया है। एमएलएफएफ टोलिंग प्रणाली के तहत, मौजूदा फास्टैग प्रणाली के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क की कटौती के लिए गैन्ट्री-माउंटेड उच्च-निष्पादन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों का उपयोग किया जाता है, जिससे शुल्क संग्रहण स्थलों पर मैनुअल हस्तक्षेप या नकद लेन-देन समाप्त हो जाता है। यह बाधा-रहित टोलिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें वाहन प्रयोक्ताओं को रुकने, धीमा करने या निर्दिष्ट लेन में रहने की आवश्यकता के बिना प्रयोक्ता शुल्क एकत्र किया जाता है।

सरकार, एनएचएआई राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से, किसी भी शिकायत, उल्लंघनों, जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी करना और लागू संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाना शामिल है, के मामलों में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करती है।
